संख्या-199/58-2-2010-300(4)/2009

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊः:दिनांकः २१ अप्रैल, 2010

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2010-11 में वचनबद्ध व्ययों को वहन किये जाने हेतु व्यवस्थिति धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक से संबंधित अपने प्रस्ताव पत्रांक-02/बजट(आयोजनेत्तर)/2010-11, दिनांकः 06.04.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि रू0-162754 हजार के सापेक्ष रू0-162754 हजार भारित सहित (रूपये सोलह करोड़ सत्ताईस लाख चौवन हजार मात्र) को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड संख्या/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
		1	2	3
1	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 0409-फल- 09-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	01-वेतन	100000	100000
		02-मजदूरी	618	618
		03-मँहगाई भत्ता	33000	33000
		04-यात्रा व्यय	750	750
		05-स्था0 यात्रा व्यय	300	300
		06-अन्य भत्ते	12000	12000
		08-कार्यालय व्यय	545	545
		09-विद्युत देय	1000	1000
		10-जलकर/जल प्रभार	200	200
		11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200	200
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	200
		13-टेलीफोन पर व्यय	75	75
		16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50	50

--------2/-

		17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	2400	2400
		18-प्रकाशन	100	100
		26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	100	100
		29-अनुरक्षण	300	300
		31-सामग्री और सम्पूर्ति	1000	1000
		42-अन्य व्यय-मतदेय	300	300
		भारित	25	25
		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	400	400
		45-अवकाश यात्रा व्यय	150	150
		47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100	100
		49-चिकित्सा व्यय	1000	1000
		51-वर्दी व्यय	41	41
		योग-09 मतदेय	**154829**	**154829**
		भारित	**25**	**25**
		योग-2401 मतदेय	**154829**	**154829**
		भारित	**25**	**25**
2	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर 80-सामान्य 004-अनुसंधान-07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	01-वेतन	5040	5040
		02-मजदूरी	30	30
		03-मँहगाई भत्ता	1663	1663
		04-यात्रा व्यय	40	40
		06-अन्य भत्ते	600	600
		08-कार्यालय व्यय	50	50
		09-विद्युत देय	20	20
		10-जलकर/जल प्रभार	6	6
		11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20	20
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	10
		13-टेलीफोन पर व्यय	30	30
		15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	50
		26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	30	30
		29-अनुरक्षण	40	40
		31-सामग्री और सम्पूर्ति	50	50
		42-अन्य व्यय	10	10
		45-अवकाश यात्रा व्यय	10	10
		49-चिकित्सा व्यय	200	200

.....3/-

		51-वर्दी व्यय	1	1
		योग-07	7900	7900
		योग-2415	7900	7900
		बृहद योग- मतदेय भारित	162729 25	162729 25
		बृहद् योग-राजस्व	162754	162754

(धनराशि रूपये-सोलह करोड़ सत्ताईस लाख चौवन हजार मात्र)

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत है। जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि न किया जाए।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा मुख्य वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

9. उक्त स्वीकृत धनराशि का वचनबद्ध व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 के अधीन लेखा शीर्षक-"2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-0409-फल-09 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना" की सुसंगत इकाईयों तथा लेखाशीर्षक-"2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-07 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव।

.....4/-

संख्या-199(1)/58-2-2010, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव।